

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 28/2023  
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/35

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड  
(जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स  
इण्डिया के नाम से जाना जाता था)  
मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए,  
धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्रीमती भूरी निनामा पत्नी श्री सुनील  
निनामा निवासी बडा रामद्वारा, सुरजपोल,  
बांसवाड़ा, जिला- बांसवाड़ा, (राज.) At  
also – श्रीमती भूरी निनामा पत्नी श्री  
सुनील निनामा निवासी बडा रामद्वारा,  
सुरजपोल, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा  
327001 (ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्री सुनील निनामा पिता श्री विटठल  
निनामा, निवासी बडा रामद्वारा, सुरजपोल,  
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.) 3270001  
(सहऋणी)


निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 20-07-2023

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर  
रोड, जयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1- श्रीमती भूरी निनामा पत्नी श्री सुनील  
निनामा निवासी बडा रामद्वारा, सुरजपोल, बांसवाड़ा, जिला- बांसवाड़ा, (राज.) At also – श्रीमती भूरी  
निनामा पत्नी श्री सुनील निनामा निवासी बडा रामद्वारा, सुरजपोल, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा 327001  
(ऋणी/बंधक कर्ता) 2- श्री सुनील निनामा पिता श्री विटठल निनामा, निवासी बडा रामद्वारा, सुरजपोल,

बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.) 3270001 (सहऋणी) को दिनांक 20-10-2020 को 3,50,000 (तीन  
लाख पचास हजार रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का  
भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 08-11-2022 को



जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)



अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणों के खाते दिनांक 10-11-2022 तक कुल बकाया राशि 297153 रु. एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्च आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति श्रीमती भूरी निनामा पत्नि श्री सुनील निनामा पता बडा रामद्वारा, सरजपोल, बांसवाडा (राज.) स्थित है जिसका कुलिया माप 15.9 स्क्वायर यार्ड है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में श्री नटवर भाई का मकान, पश्चिम में राजु भाई का मकान, उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में राजु भाई का मकान है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 11-11-2022 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व उसने

डॉक्टर एम. जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाडा (राज.)

ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक 20-10-2020 को 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार रुपया) ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 04-04-2023 को जारी किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नोटिस दिनांक 07.07.2023 को बाद तांमील प्रस्तुत हुए किन्तु अप्रार्थीगण सं. 1, 2 अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 20.07.2023 को भी समस्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणो को सायं 04.00 पी.एम तक आंवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं

वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक

है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।




क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसीवाड़ा (राज.)



अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 20-07-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
क्लेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
बांसवाड़ा (राज.)  
बांसवाड़ा (राज.)